फाइल नं0-71-1002/7/2022

7/2023/।/265333/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 23 जनवरी, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ तथा प्रयागराज में डायबेटिक रेटिनोपैथी सेंटर हेतु उपकरणों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2022-23/424, दिनांक 02.12.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ तथा प्रयागराज के नेत्र रोग विभाग में डायबेटिक रेटिनोपैथी सेंटर के संचालन हेतु उपकरणों की सूची उपलब्ध करायी गयी है।

2- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 02.12.2022 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ तथा प्रयागराज के नेत्र रोग विभाग में डायबेटिक रेटिनोपैथी सेंटर के संचालन हेतु उपकरणों की सूची (संलग्नक के अनुसार) अनुमोदित करते हुए मेडिकल कालेज, मेरठ में डायबेटिक रेटिनोपैथी सेंटर हेतु मानक मद 26-मशीनें और साज-सज्जा में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 190.38 लाख तथा मेडिकल कालेज, प्रयागराज में डायबेटिक रेटिनोपैथी सेंटर हेतु मानक मद 26-मशीनें और साज-सज्जा में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख, अर्थात् **कुल रू0 390.38 लाख (रू0 तीन करोड़ नब्बे लाख अड़तीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1- राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज हेतु उपकरणों की सूची (संलग्नक के अनुसार) की तालिका के क्रमांक-7 पर Diabetic Awareness Van/Bus का उल्लेख है। उक्त के क्रय हेतु पृथक से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपकरणों के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेसिफिकेशन, क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होगा।

3- उपकरणों की गुणवत्ता, मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उपकरणों क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों एवं यू0पी0 प्रोक्योरमेन्ट एण्ड गुड्स मैनुअल, 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्योमदों में किया जायेगा/ , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है , किन्ही अन्य कार्योमदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय / अनियमितता मानी जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगाए जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

9- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।

10- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97 (ल0उ0)/2016, दिनॉक 23.08.2017 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2018/868/18-2-2017-2 (एस0पी0)/2017, दिनॉक 15.01.2018 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष रू0 1.00 लाख तक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा रू0 50.00 लाख क्रयाधिकार संबंधी निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत ही क्रय प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही क्रयादेश निर्गत किये जायेंगे।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की होगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,90,38,000 (रूपये एक करोड़ नब्बे लाख अड़तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031058802 मेडिकल कालेज, मेरठ मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र (2) रू0 2,00,00,000 (रूपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक में अनुदान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031058803 मेडिकल कालेज, प्रयागराज मानक मद-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह),
अनु सचिव

संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव (श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी) चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज यथा-प्रयागराज/मेरठ।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज यथा- प्रयागराज/मेरठ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज/मेरठ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
अनु सचिव

(संलग्नक

राजकीय मेडिकल कालेज , प्रयागराज-

क्र0सं0	विभाग का नाम	उपकरण का नाम	मात्रा	उपकरण का अनुमानित कुल मूल्य 5 वर्ष वारंटी के साथ
1	2	3	4	5
1	नेत्र रोग विभाग	Unit Chair	1	200000
2		Photo Slit Lamp	1	1500000
3		Auto Refractometer	1	600000
4		Fundus Cam era	1	1000000
5		Non-Contact Tonometer	1	600000
6		Audio-Visual System	1	200000
7		Diabetic Awareness	1	5900000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		Van/Bus		
8		High End Vitrectomy Machine with Endolsar	1	10000000
			Total-	**2,00,00,000/-**

राजकीय मेडिकल कालेज , मेरठ -

क्र0सं0	**विभाग का नाम**	**उपकरण का नाम**	**मात्रा**	**उपकरण का अनुमानित मूल्य 5 वर्ष की वारंटी के साथ**	**कुल मूल्य**
1	नेत्र रोग विभाग	Portable fundus camera	02	₹ 7,00,000.00	₹ 14,00,000.00
2		Visual Field Analyzer	01	₹ 32,00,000.00	₹ 32,00,000.00
3		Nd Yag Laser with lenses	01	₹ 32,00,000.00	₹ 32,00,000.00
4		One chip fully integrated HD camera for Lumera-300 with External recorder	01	₹ 15,00,000.00	₹ 15,00,000.00
5		One chip HD Camera for Lumera-1 with beam splitter with external recorder	01	₹ 22,00,000.00	₹ 22,00,000.00
6		Three chip HD camera for Lumera-1 with beam splitter with external recorder	01	₹ 30,00,000.00	₹ 30,00,000.00
7		Digital Photo slip lamp with Applanation tonometer with recording system	01	₹ 6,00,000.00	₹ 6,00,000.00
8		2-channel ERG & VEP	01	₹ 32,00,000.00	₹ 32,00,000.00
9		Irrigating Lens set 90D, Wide Field & Central Fundus	04	₹ 25,000.00	₹ 1,00,000.00
10		Online UPS 10KVA	01	₹ 6,00,000.00	₹ 6,00,000.00
11		A-Scan Biometer with Printer	02	₹ 5,00,000.00	₹ 10,00,000.00
				Total	**₹ 2,00,00,000.00**

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।